जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.10.2024

थाना कांधला पुलिस द्वारा एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 20000 रूपये की नगदी व कार बरामद-

ज्ञात हो कि दिनांक 17.09.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्लामपुर घसौली निवासी खलील पुत्र इनाम से पंजाब नैशनल बैंक कस्बा कांधला में रूपये जमा करने के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असली रुपये लेकर बदले में रुमाल में रद्दी के कांगज देकर धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।
इसी क्रम में आज दिनांक 21.10..2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाँछित अपराधी चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा जिडाना नहर पुल भट्टे के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। जिनके कब्जे से 20000 रूपये की नगदी व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में दिनांक 31.10.2023 को स्टेट बैंक कांधला के एटीएम से एक व्यक्ति का एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर उसके खाते से नगदी निकाले जाने व दिनांक 14.03.2024 को एक्सिस बैंक के एटीएम से पुनः एक व्यक्ति का एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर उसके खाते से नगदी निकाले जाने की घटना करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों से भी जानकारी की जा रही है

पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का अनावरण व अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

नामपता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1.प्रवीण उर्फ अनिल उर्फ लंगडा पुत्र मेहरचन्द निवासी हिरणवाडा थाना बाबरी जनपद शामली,हाल पता जी-9/61 सेक्टर 15 रोहिणी,नई दिल्ली।
2.महेश उर्फ जवानी पुत्र स्वामीनाथ निवासी सी 2/137 सेक्टर 27, थाना साहबाद डेरी नई दिल्ली -46, मूल निवासी ग्राम लद्दी सरया थाना गोरिया कोठी जिला सिवान, बिहार ।
3.प्रदीप उर्फ कालिया पुत्र रामविलास सैनी निवासी ग्राम अकोना थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर बिहार, हाल पता म0नं0 C2/56 रोहिणी सेक्टर 27 थाना शाहबाद डेयरी नई दिल्ली ।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रवीन उर्फ अनिल -
1.अ0स0 78/2024 धारा 420/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 102/2024 मे धारा 420/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 307/2024 धारा मे धारा 318(4)/ 317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त महेश उर्फ जवानीः-
1.अ0स0 78/2024 धारा 420/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 102/2024 मे धारा 420/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 307/2024 धारा मे धारा 318(4)/ 317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रदीप उर्फ कालियाः-

1.अ0स0 78/2024 धारा 420/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 102/2024 मे धारा 420/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 307/2024 धारा मे धारा 318(4)/ 317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 20000 हजार रूपये बरामद।

2.क्विड कार 01 रजि0 न0 –DL8CAL1488   ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलाउद्दीनपुर में हुयी हिस्ट्रीशीटर की हत्या की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त/हिस्ट्रीशीटर को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 कुल्हाडी व पहने कपड़े बरामदः-

दिनांक 20.10.2024 की रात्रि में श्री राकेश पुत्र पुजारी निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के द्वारा सूचना दी गई की मेरे चाचा दरियाव पुत्र भवानी मेरे भाई पवन के घर पर थे। घर पर रवि पुत्र विजयपाल व उसका लड़का सुमित घऱ पर आये मेरे चाचा दरियाव की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण , थाना प्रभारी झिंझाना व फील्ड यूनिट, फॉरेन्सिक की टीम ने मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किये। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के भतीजे राकेश की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलाउद्दीनपुर में हुयी हिस्ट्रीशीटर दरियाव की हत्या की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त/हिस्ट्रीशीटर को ग्राम सींगरा मौजा के जंगल के पास से आलाकत्ल 01 कुल्हाडी व पहने कपड़े सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना झिंझाना पुलिस द्वारा यथाशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।

हिस्ट्रीशीटर दरियाव (मृतक) व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रवि थाना झिंझाना के पंजीकृत एचएस है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रवि पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रवि उपरोक्त

1.मु0अ0स0 300/2018 धारा147/148/149/307/353/392 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली

2.मु0अ0स0 2019 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना झिँझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 69/2024 धारा 3/25 आ0एक्ट थाना झिँझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 427/2024 धारा 103(1),333 बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल कुल्हाडी।

2.पहने कपड़े (अभियुक्त रवि ने)

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 02 मोबाईल बरामदः-

आज दिनांक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये 02 मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 12.10.2024 को वादी श्री सोनवीर पुत्र परसराम निवासी ग्राम कैडी जनपद शामली ने अपने घर से 03 मोबाईल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर नामजद के विरुद्ध तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आशु पुत्र महिपाल निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की हुए 02 मोबाइल वीवी व ओप्पो कम्पनी।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 नाजायज चाकू बरामदः-

आज दिनांक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 02 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.इमरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम असलफाबाद थाना रमाला जनपद बागपत ।

2.गुलाब पुत्र इलियास निवासी ग्राम असलफाबाद थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरणः-

1.दो चाकू नाजायज ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 1500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 1996 में अभियुक्त कालू उर्फ तशीन पुत्र मकसद निवासी लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 24/1996 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 21.10.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि की साज व 1500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.कालू उर्फ तशीन पुत्र मकसद निवासी लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI